F. No.1-58/2025/142766- Legal कार्यालय/ Office

चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर

ল্ডান্ড 226001

4th Floor Prime Plaza, Indira Nagar,

Lucknow 226001

दिनांक / Dated: 11.12.2025

Final Disciplinary Order Concerning Non-Promotion to Second Year and Initiation of "Zero Session" Action

To,

Manager/Secretary/Principal

Shirkanya

Pourame clical

College:

Subject: In consequence of the Institution's failure to comply with Council Letter No. 1-58/2025/142689-Exam dated 19-11-2025 — Order regarding prohibition on promotion of First Year students of Session 2024-25 to Second Year, cancellation of their examination eligibility, and initiation of "Zero Session" action whereby no enrolment from the Institution shall be accepted by the Council for the Session 2025-26 — reg.

Sir/Madam,

Upon examination of the mandatory notifications, enrolment procedures, student-upload timelines, fee submission requirements, and examination-related standards periodically issued by the Council, it has been found that your institution has failed to complete any of the essential obligations prescribed for the academic session 2024-25 within the stipulated and satisfactory timelines. Council records clearly reflect that the uploading of First Year students, submission of required documents, payment of fees, enrolment forms, and all examination-related procedures remained wholly incomplete until the

notified last dates, rendering the academic status of the students invalid under the Council's regulations.

In view of the above circumstances, the Council hereby issues the following stringent administrative orders:

All students enrolled in the First Year of your institution for Session 2024-25 are strictly prohibited from being promoted or forwarded to the Second Year in the current academic cycle. The Council expressly declares that, owing to incomplete and non-compliant enrolment status, the progression (Promotion) of these students shall not be recognised.

Consequently, all the aforementioned First Year students of your institution shall **not be eligible to appear in any examination during the current year**. Their examination eligibility stands cancelled with immediate effect, and no results, certificates, or academic documents of any kind shall be issued to them by the Council.

Since your institution has committed a serious violation of the Council's rules and prescribed timelines, the Council hereby initiates "Zero Session" action against your institution. Under this action, all admission approvals, enrolment rights, and affiliation-related activities for the forthcoming academic year shall remain suspended until the institution fully rectifies all pending obligations, documentary deficiencies, fee-related compliances, and administrative requirements to the complete satisfaction of the Council.

This order is of an extremely serious nature and shall be treated as final and binding within the framework of the Council's regulations. Any disregard or non-compliance of this order will necessitate the initiation of even more stringent disciplinary action against your institution.

Your institution is directed to ensure immediate compliance with the Council's directions upon receipt of this order and to submit a complete compliance report, along with all pending documents, to the Council office without delay.

This order is issued with the approval of the Competent Authority.

(Dr Akash Sharma)
Controller of Examination
Lal Bahadur Shastri Paramedical
Skill and Training Council

No.1-58/2025142766- Legal

कार्यालय/ Office लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council संगणक विमाग/ Comupter Department वेबसाइट/www.lbspstc.com

चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर

लखनऊ 226001

4th Floor Prime Plaza, Indira Nagar,

Lucknow 226001

दिनांक / Dated: 11.12.2025

द्वितीय वर्ष प्रगति-निरस्तीकरण एवं

"सत्र शून्य" कार्रवाई के संबंध में अंतिम आदेश

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य

1210141-41 GRIA BOM 011 WY

विषय: परिषद् के पत्र संख्या No.1-58/2025/142689- Exam दिनांक 19-11-2025 के अनुपालन में संस्थान द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप—सत्र 2024-25 के प्रथम वर्ष छात्रों को द्वितीय वर्ष में अग्रसारित करने पर रोक, परीक्षा-योग्यता निरस्तीकरण, एवं संस्थान के विरुद्ध "सत्र शून्य" कार्रवाई यानि सत्र 2025-26 में कोई भी नामांकन संस्थान की ओर से परिषद द्वारा स्वीकर्य नहीं किया जाने के संबंध में:-

महोदय/महोदया.

परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी अनिवार्य अधिसूचनाओं, नामांकन प्रक्रियाओं, छात्र अपलोड समय-सीमा, शुल्क जमा प्रावधान तथा परीक्षा-संबंधी मानकों के अनुपालन का परीक्षण करते हुए यह पाया गया है कि आपके संस्थान द्वारा सत्र 2024-25 के लिए निर्धारित किसी भी अनिवार्य कार्य को समयबद्ध एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं किया गया। परिषद् के रिकॉर्ड में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रथम वर्ष के छात्रों का अपलोड, आवश्यक अभिलेख, शुल्क, नामांकन फ़ॉर्म तथा परीक्षा-संबंधी प्रक्रियाएँ निर्धारित अंतिम तिथियों तक पूर्णतः अपूर्ण रहीं, जिसके कारण छात्रों की शैक्षणिक स्थित परिषद् के विनियमों के अनुसार अमान्य हो जाती है। उक्त परिस्थितियों के आधार पर परिषद् द्वारा निम्न कठोर प्रशासनिक आदेश पारित किए जाते हैं: सत्र 2024-25 में आपके संस्थान के प्रथम वर्ष में नामांकित सभी छात्रों को इस वर्ष द्वितीय वर्ष में अग्रसारित (Forward) करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। परिषद् द्वारा यह स्पष्ट घोषित किया जाता है कि इन छात्रों की नामांकन स्थित अधूरी एवं नियम-विरुद्ध होने के कारण प्रगति (Promotion) मान्य नहीं होगी। इस आदेश के फलस्वरूप आपके संस्थान के प्रथम वर्ष के उपर्युक्त सभी छात्र वर्तमान वर्ष की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं रहेंगे। उनकी परीक्षा-योग्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है और परिषद् द्वारा इन छात्रों को कोई भी परिणाम, प्रमाणपत्र या शैक्षणिक दस्तावेज जारी नहीं किया जाएगा।

चूँकि आपके संस्थान ने परिषद् के नियमों एवं समयसीमा का गंभीर उल्लंघन किया है, अतः परिषद् द्वारा आपके संस्थान के विरुद्ध "सत्र शून्य (Zero Session)" कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्रवाई के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक वर्ष हेतु प्रवेश-स्वीकृति, नामांकन अधिकार एवं संबद्धता से संबंधित क्रियाकलाप स्थिगत रहते हैं, जब तक कि संस्थान अपने समस्त लंबित दायित्वों, अभिलेखीय त्रुटियों, शुल्क भुगतान तथा प्रशासनिक अनुपालन को पूर्णरूप से सुधारकर परिषद् के संतोष तक प्रस्तुत न कर दे। यह आदेश अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और परिषद् के नियम-प्रवधानों के अंतर्गत अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा। इस आदेश की अवहेलना आपके संस्थान के विरुद्ध और अधिक कठोर दंडात्मक कार्रवाई को अनिवार्य बना देगी। आपके संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के प्राप्त होते ही तत्काल प्रभाव से परिषद् के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा सभी लंबित अभिलेखों एवं अनुपालनात्मक कार्यों की रिपोर्ट परिषद् कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(डॉ॰ आकाश शमी)

परीक्षा नियंत्रक

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं

प्रशिक्षण परिषद